न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– कौशल्या बिश्नोई, आर. ए. एस.)

निर्णय दिनांक : 5/1/26

मुकदमा नं. :– 239/2025

सुन्दर बनाम भगीरथी वगै0

सुन्दर पत्नी दयानन्द सिंह ढुकिया जाति जाट निवासी ढुकिया का बास तहसील मण्डावा जिला जिला झुन्झुनू (राज.)

प्रार्थीया

बनाम

1. भगीरथी तंवर पत्नी विजय सिंह जाति मेघवाल निवासी कुल्हरीयों की ढाणी तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)
2. मोहम्मद फारूक पुत्र यासीन जाति मुसलमान निवासी वार्ड संख्या 31, झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू ।
3. लाला पुत्र अब्दुला जाति मुसलमान निवासी वार्ड संख्या 31. झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू ।
4. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार महोदय झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ.धा. 251 क राज. काश्त. अधिनियम 1955

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम कस्बा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू की सरहद में भूमि खेत खसरा नम्बर 78 रकबा 1.7987 हैक्टर भूमि रही है उक्त भूमि में से प्रार्थीया ने 0.8752 हैक्टर भूमि दिनांक 06/09/20211 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी थी। उक्त खसरा नम्बर 78 का बाद में खाता विभाजन होने पर इसके नये खसरा नम्बर 4674/78, 4675/78 तथा 4147/78 बने। इसमें से खसरा नम्बर 4675/78 रकबा 0.80 हैक्टर भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज हुई तथा खसरा नम्बर 4147/78 भूमि सामुहिक रास्ते के लिए छोडी गई। प्रार्थीया के खेत खसरा नम्बर 4675/78 में से होकर खसरा नम्बर 4147/78 में से एक रास्ता पश्चिम दिशा में

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के खेत खसरा नम्बर 24 से होते हुये खसरा नम्बर 25 आम सड़क में जाकर मिलता है जो कि काफी प्रचलित एवं कदीमि रास्ता है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीया कई वर्षों से करती आ रही है। जो कि प्रार्थीया के खेत में आने जाने का एक मात्र निकटतम रास्ता है उसके अलावा प्रार्थीया के खेत खसरा नम्बर 4675/78 में आने के लिए कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। चूंकि प्रार्थीया उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग कई समय से करती आ रही है इसलिए यह एक प्रचलित रास्ता बन गया है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने उक्त रास्ते को बंद करना चाहते है जिसे बंद करने का अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। उक्त रास्ते बाबत नजरी नक्शा प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि प्रार्थना पत्र का भाग है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ पढा जावें। प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीया कई वर्षों से करती आ रही है इसके अलावा प्रार्थीया के पास कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। इसलिए नजरी नक्शे में दर्ज अनुसार कटानी रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किया जाना न्यायहित में न्यायोचित है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का भाग है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ पढा जावें। दिनांक 24/06/2025 को उक्त अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया को उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग से साफ इन्कार कर दिया और प्रार्थीया को उक्त रास्ते से जाने से रोक दिया तब इस बाबत प्रार्थीया ने तहसीलदार महोदय झुन्झुनू से सम्पर्क किया तहसीलदार महोदय ने उक्त रास्ते को कटानी हेतु करने से मना कर दिया और कहा कि सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना मैं उक्त रास्ते को कटानी नहीं कर सकता हू। इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर अनावेदकगण को जरिये नोटिस जबाब देही हेतु तलब किया गया। अनावेदकगण अनावेदकगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रस्तावित रास्ता बाबत तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में खसरा नं. 4675/78 में आवागमन के लिए खसरा नं. 24 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे 56.20 मीटर लम्बा व 8 मीटर चौड़ा रास्ता प्रस्तावित किया है तथा यही रास्ता प्रार्थिया के लिए न्यूनतम दूरी का रास्ता बताया है। प्रार्थीया की ओर से एडवोकेट मुर्करम अंसारी उपस्थित आये। बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता आवेदिका ने कथन किया कि आवेदिका के खेत खसरा नं. 4675/78 में आवागमन हेतु

उपखण्ड अधिकारी
(राज.)

किसी प्रकार का रास्ता नहीं है। आवेदिका को रास्ते की नितांत आवश्यकता है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार रास्ता कायम कर दिया जाये।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस विद्वान अधिवक्ता पर बगौर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि आवेदिका के खेत खसरा नं. 4675/78 में में आवागमन हेतु व अपनी जोत को सुधार करने हेतु रास्ते की नितांत आवश्यकता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों, बहस के दौरान अधिवक्तागण द्वारा दी गई दलीलों के मध्यनजर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। लिहाजा :-

-: आदेश :-

आवेदिका द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम/कस्बा झुंझुनूं तहसील झुंझुनूं के हाल भूमि खसरा नं. 4675/78 में आवागमन के लिए मुताबिक संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट खसरा नं. 24 मेंसे दक्षिणी सीमा सहारे सहारे मुताबिक रिपोर्ट तहसीदार 8 मीटर चौड़ा रास्ता कायम करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक राजस्व/2025/891 दिनांक 12.09.2025 द्वारा भिजवाई गई प्रस्तावित रास्ता बाबत रिपोर्ट आदेश का भाग रहेगी। रास्ते में आने वाली भूमि के बदले भूमि की वर्तमान डीएलसी दर की दोगुना राशि भूमि खसरा नं. 24 के खातेदारों को भुगतान किया जाकर या भुगतान नहीं लेने की स्थिति में राशि राजकोष में जमा करवाई जाकर तहसीलदार प्रस्तावित रास्ते को गै0 मु0 रास्ता दर्ज करे। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 5/1/26 को टंकण करवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(कौशल्या बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)